

पुलिस अधिनियम, 1861

धाराओं का क्रम

धाराएं

उद्देशिका ।

1. निर्वचन खण्ड ।
2. बल का गठन ।
3. राज्य सरकार में अधीक्षण निहित होगा ।
4. पुलिस महानिरीक्षक आदि ।
5. महानिरीक्षक की शक्तियां । शक्तियों का प्रयोग ।
6. पुलिस अधिकारियों को मजिस्ट्रेट की शक्तियां ।
7. अवर अधिकारियों की नियुक्ति और पदच्युति इत्यादि ।
8. पुलिस अधिकारियों को प्रमाणपत्र ।

प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण ।

9. पुलिस अधिकारी बिना इजाजत या दो मास की सूचना के पद-त्याग नहीं करेंगे ।
10. पुलिस अधिकारी अन्य नियोजन में नहीं लगेंगे ।
11. पुलिस अधिवार्षिकी निधि ।
12. महानिरीक्षक की नियम बनाने की शक्ति ।
13. व्यक्तिगत खर्च पर नियोजित अतिरिक्त पुलिस अधिकारी ।
14. रेल और अन्य कर्मों के आसपास अतिरिक्त बल की नियुक्ति ।
15. विक्षुब्ध या संकटपूर्ण जिलों में अतिरिक्त पुलिस रखना ।
- 15क. निवासियों या भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के दुराचरण से पीड़ितों को प्रतिकर अधिनिर्णीत करना ।
16. धारा 13, 14, 15 और 15क के अधीन संदेय धनों की वसूली और वसूली होने पर उनका व्ययन ।
17. विशेष पुलिस अधिकारी ।
18. विशेष पुलिस अधिकारियों की शक्तियां ।
19. विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में सेवा करने से इन्कार ।
20. पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला प्राधिकार ।
21. ग्राम पुलिस अधिकारी ।
- फोर्ट विलियम की प्रेंसिडेंसी में पुलिस चौकीदार ।
22. पुलिस अधिकारी सदैव कर्तव्यारूढ़ होंगे और जिले के किसी भी भाग में नियोजित किए जा सकेंगे ।
23. पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य ।
24. पुलिस अधिकारी इत्तिला इत्यादि कर सकेंगे ।
25. पुलिस अधिकारी बिना दावे वाली सम्पत्ति को अपने भारसाधन में लेंगे और इसके व्ययन की बाबत मजिस्ट्रेट के आदेशों के अधीन होंगे ।
26. मजिस्ट्रेट सम्पत्ति को निरुद्ध कर सकेगा और उद्घोषणा निकाल सकेगा ।

धाराएं

27. यदि कोई दावेदार उपसंजात नहीं होता, तो सम्पत्ति का अधिहरण ।
28. पुलिस अधिकारी न रहने पर प्रमाणपत्र इत्यादि का परिदान करने से इन्कार करने वाले व्यक्ति ।
29. कर्तव्य इत्यादि की उपेक्षा के लिए शास्तियां ।
30. लोक जमावों और जुलूसों का विनियमन और उनके लिए अनुज्ञप्ति देना ।
- 30क. अनुज्ञप्ति की शर्तों का अतिक्रमण करने वाले जमावों और जुलूसों के सम्बन्ध में शक्तियां ।
31. पुलिस लोक सड़कों इत्यादि पर व्यवस्था बनाए रखेगी ।
32. ठीक पूर्ववर्ती तीन धाराओं के अधीन निकाले गए आदेशों की अवज्ञा के लिए शास्ति ।
33. जिले के मजिस्ट्रेट के नियंत्रण की व्यावृत्ति ।
34. सड़कों पर कतिपय अपराधों के लिए दण्ड इत्यादि—पुलिस अधिकारियों की शक्तियां ।
 - ढोर वध, बेतहाशा सवारी आदि ।
 - जीव-जन्तु के साथ निर्दयता ।
 - यात्रियों को बाधा पहुंचाना ।
 - विक्रय के लिए वस्तुओं को अभिदर्शित करना ।
 - मार्ग पर धूल फेंकना ।
 - मत्त या बलवात्मक पाया जाना ।
 - शरीर का अशिष्ट अभिदर्शन ।
 - संकटपूर्ण स्थानों के संरक्षण में उपेक्षा ।
35. अधिकारिता ।
36. अन्य विधि के अधीन अभियोजित करने की शक्तियां प्रभावित नहीं होंगी ।
37. मजिस्ट्रेट द्वारा अधिरोपित शास्तियों और जुर्मानों की वसूली ।
38. [निरसित] ।
39. [निरसित] ।
40. [निरसित] ।
41. [निरसित] ।
42. कार्यवाहियों के लिए परिसीमा ।
 - अभितुष्टि की निविदा ।
43. यह अभिवचन कि कार्य वारन्ट के अधीन किया गया था ।
44. पुलिस अधिकारी डायरी रखेंगे ।
45. राज्य सरकार विवरणियों का प्ररूप विहित कर सकेगी ।
46. अधिनियम की परिधि ।
47. पुलिस के जिला अधीक्षक का ग्राम पुलिस पर प्राधिकार ।

¹[पुलिस अधिनियम, 1861]

(1861 का अधिनियम संख्यांक 5)

[22 मार्च, 1861]

पुलिस के विनियमन के लिए अधिनियम

उद्देशिका—यतः पुलिस को पुनर्गठित करना और अपराधों को निवारित करने तथा उनका पता लगाने के लिए उसे और अधिक दक्ष उपकरण बनाना समीचीन है; अतः निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :—

1. निर्वचन खण्ड—जब तक कि कोई बात विषय या सन्दर्भ में ऐसे अर्थान्वयन के विरुद्ध न हो, इस अधिनियम में निम्नलिखित शब्दों और पदों का वही अर्थ होगा जो उन्हें दिया गया है, अर्थात्—

“जिले का मजिस्ट्रेट” से वह मुख्य अधिकारी अभिप्रेत है जिस पर जिले के कार्यपालिक प्रशासन का भार है और जो मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करता है चाहे ऐसे कार्यपालिक प्रशासन से भारित मुख्य अधिकारी किसी भी पदाभिदान से ज्ञात हो;

“मजिस्ट्रेट” शब्द के अन्तर्गत मजिस्ट्रेट की सब या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने वाले साधारण पुलिस जिले के सब व्यक्ति आते हैं;

“पुलिस” शब्द के अन्तर्गत वे सब व्यक्ति आते हैं जो इस अधिनियम के अधीन भर्ती किए गए हैं;

¹ संक्षिप्त नाम, भारतीय संक्षिप्त नाम अधिनियम, 1897 (1897 का 14) द्वारा दिया गया है।

यह अधिनियम—

संथाल परगना व्यवस्थापन विनियम, 1872 (1872 का 3) की धारा 3 द्वारा संथाल परगना को, कलकत्ता पुलिस अधिनियम, 1898 (1898 का बंगाल अधिनियम संख्यांक 1) द्वारा उपान्तरण सहित कलकत्ता शहर और उसके उपनगरों को, खोंडमल विधि विनियम, 1936 (1936 का 4) की धारा 3 और अनुसूची द्वारा खोंडमल जनपद को, आंगुल विधि विनियम, 1936 (1936 का 5) की धारा 3 और अनुसूची द्वारा आंगुल जनपद को, उड़ीसा विधि विनियम, 1936 (1936 का 1) द्वारा मद्रास प्रेसिडेन्सी से उड़ीसा को अन्तर्गत क्षेत्रों को,

लागू किया।

अनुसूचित जनपद अधिनियम, 1874 (1874 का 14) की धारा 3(क) के अधीन अधिसूचना द्वारा यह घोषित किया गया है कि यह अधिनियम निम्नलिखित अधिसूचित जनपदों में प्रवृत्त है, अर्थात् :—

हजारीबाग जनपद, लोहारङगा (अब रांची जनपद, देखिए कलकत्ता गजट, 1899, भाग 1, पृष्ठ 44) और मानभूम और परगना दालभूम और सिंहभूम जनपद में कोल्हन, देखिए गजट आफ इंडिया, 1831, भाग 1, पृष्ठ 504, और सिंहभूम जनपद में पोरहाट एस्टेट, देखिए गजट आफ इंडिया, 1897, भाग 1, पृष्ठ 1089।

उसी अधिनियम की धारा 5 के अधीन अधिसूचना द्वारा इसका विस्तार कुमायूं और गढ़वाल जनपदों को किया गया, देखिए गजट आफ इंडिया, 1891, भाग 1, पृष्ठ 185 और (धारा 5 के अपवाद सहित) कुर्मे के अनुसूचित जनपद को, देखिए गजट आफ इंडिया, 1914, भाग 2, पृष्ठ 2347। धारा 15, धारा 15क, धारा 16, धारा 30, धारा 30क, धारा 31 और धारा 32 को गंजम और विजगापतनम के अनुसूचित जनपदों में विस्तारित किया गया, देखिए फोर्ट सेंट जार्ज गजट, 1898, भाग 1, पृष्ठ 667 और गजट आफ इंडिया, 1898, भाग 1, पृष्ठ 873। सम्पूर्ण अधिनियम का विस्तार दक्षिणी कर्नाटक जनपद से संबद्ध अमीनदीवी द्वीप को किया गया, देखिए फोर्ट सेंट जार्ज गजट, 1935, भाग 1, पृष्ठ 1202।

विलयित राज्य (विधि) अधिनियम, 1949 (1949 का 59) द्वारा इसका विस्तार विलयित राज्यों और भोपाल, बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश और कच्छ राज्यों को और भाग ग राज्य (विधि) अधिनियम, 1950 (1950 का 30) द्वारा मणिपुर, त्रिपुरा और विंध्य प्रदेश राज्यों को किया गया।

इसे निम्नलिखित पर विस्तारित किया गया :—

(1) 1963 के विनियम 6 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा, 1-7-1965 से दादरा और नागर हवेली में प्रवृत्त किया गया।

(2) 1965 के विनियम 8 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा 1-10-1967 से लक्षद्वीप, मिनीकाय और अमीनदीवी द्वीप में प्रवृत्त किया गया।

(3) 1958 के मध्य प्रदेश अधिनियम संख्यांक 23 द्वारा (अधिसूचना की तारीख से) सम्पूर्ण मध्य प्रदेश।

(4) 1962 के विनियम 12 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा उपान्तरणों सहित गोवा, दमण और दीव।

मद्रास, मुम्बई और बंगाल के निम्नतर प्रान्तों में विशेष अधिनियमितियों के प्रवर्तन और धारा 46 द्वारा प्रवृत्त शक्ति के अधीन इस अधिनियम के विस्तार के संबंध में, उस धारा की टिप्पणी देखिए।

राज्यों के कतिपय भागों में प्रवृत्त सैनिक, फ्रंटियर या ग्राम्य पुलिस के लिए विशेष अधिनियमितियों के संबंध में, धारा 8 का पाद टिप्पण देखिए।

दो या अधिक प्रान्तों के भागरूप विशेष पुलिस, जनपदों के सृजन और राज्य के किसी भाग में किसी पुलिस बल के सदस्यों की शक्ति और अधिकारिता का उनके प्रत्येक भाग में अपवर्जन के लिए, पुलिस अधिनियम, 1888 (1888 का 3) देखिए।

यह अधिनियम निम्नलिखित को लागू करने के लिए—

सी०पी० और बरार को 1937 के सी०पी० और बरार अधिनियम सं० 3 द्वारा; मद्रास को 1948 के मद्रास अधिनियम सं० 13; यू०पी० को 1939 के यू०पी० अधिनियम सं० 2, 1944 के अधिनियम सं० 2 और 1952 के अधिनियम सं० 32 द्वारा; पंजाब को 1948 के ई०पी० अधिनियम सं० 30 द्वारा; पांडिचेरी को 1968 के पांडिचेरी अधिनियम सं० 7 द्वारा, पश्चिमी बंगाल को 1973 के पश्चिमी बंगाल अधिनियम सं० 5 द्वारा; उड़ीसा को 1976 के उड़ीसा अधिनियम सं० 5 और 1976 के अधिनियम सं० 34 द्वारा; तथा सिक्किम को 1980 के सिक्किम अधिनियम सं० 7 द्वारा, संशोधित किया गया।

यह अधिनियम बेल्लारी जिले को लागू होने में 1955 के मैसूर अधिनियम सं० 14 द्वारा निरसित किया गया।

“साधारण पुलिस जिला” में कोई ¹प्रेसिडेन्सी, राज्य या स्थान या किसी प्रेसिडेन्सी, राज्य या स्थान का कोई भाग आता है, जिसमें इस अधिनियम को प्रभावी करने के लिए आदेश दिया गया है;

²“जिला अधीक्षक” और “जिला पुलिस अधीक्षक” शब्दों के अन्तर्गत सहायक जिला अधीक्षक या अन्य व्यक्ति आता है जिसे किसी जिले में जिला पुलिस अधीक्षक के सब कर्तव्यों या उनमें से किसी का पालन करने के लिए इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार के साधारण या विशेष आदेश द्वारा नियुक्त किया गया है;]

“सम्पत्ति” शब्द के अन्तर्गत कोई जंगम सम्पत्ति, धन या मूल्यवान प्रतिभूति आती है;

³* * * *

“व्यक्ति” शब्द के अन्तर्गत कम्पनी या निगम आता है;

“मास” शब्द से कलेण्डर मास अभिप्रेत है;

⁴“ढोर” शब्द के अन्तर्गत सीगों वाले ढोरों के अतिरिक्त हाथी, ऊंट, घोड़े, गधे, खच्चर, भेड़ें, बकरियां और सूअर आते हैं।

⁵[पुलिस बल की अधीनस्थ पंक्तियों के प्रति निर्देशों का अर्थ यह लगाया जाए कि वे निर्देश उस बल के उपअधीक्षक की पंक्ति के नीचे वाले सदस्यों के प्रति हैं।]

62. बल का गठन—इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार के अधीन समस्त पुलिस स्थापन एक ⁷पुलिस बल समझा जाएगा और रीति: भर्ती किया जाएगा और वह अधिकारियों और पुलिसजन की ऐसी संख्या से मिलकर बनेगा और ऐसी रीति से गठित होगा ⁸*** जैसा ⁹*** राज्य सरकार समय-समय पर आदेश करे।

⁵[इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी पुलिस बल की अधीनस्थ पंक्ति के सदस्यों का वेतन और सेवा की अन्य सब शर्तें वे होंगी, जो राज्य सरकार अवधारित करे।]

3. राज्य सरकार में अधीक्षण निहित होगा—साधारण पुलिस जिले में सर्वत्र, पुलिस का अधीक्षण, उस राज्य सरकार में, जिसके अधीन ऐसा जिला हो, निहित होगा और ⁹*** उसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा; और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन जैसा प्राधिकृत हो उसके सिवाय कोई व्यक्ति, अधिकारी, या न्यायालय राज्य सरकार द्वारा किसी पुलिस कर्मचारी को ¹⁰*** अतिष्ठित या नियंत्रित करने के लिए सशक्त नहीं किया जाएगा।

4. पुलिस महानिरीक्षक आदि—¹¹साधारण पुलिस जिले में सर्वत्र पुलिस का प्रशासन एक अधिकारी में, जो पुलिस महानिरीक्षक कहलाएगा और ऐसे महानिरीक्षक और सहायक महानिरीक्षक में जिन्हें राज्य सरकार ठीक समझे, निहित होगा।

जिले के मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता में सर्वत्र पुलिस का प्रशासन, ऐसे मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण और निदेशन के अधीन एक जिला अधीक्षक और ऐसे सहायक जिला अधीक्षकों में जिन्हें राज्य सरकार आवश्यक समझे, निहित होगा।

¹²* * * *

5. महानिरीक्षक की शक्तियां। शक्तियों का प्रयोग—साधारण पुलिस जिले में सर्वत्र पुलिस महानिरीक्षक को मजिस्ट्रेट की सम्पूर्ण शक्तियां प्राप्त होंगी किन्तु वह उन शक्तियों का प्रयोग राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिरोपित मर्यादाओं के अधीन करेगा।

6. [पुलिस अधिकारियों को मजिस्ट्रेट की शक्तियां।]—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1882 (1882 का 10) की धारा 2 और अनुसूची 1(ख) द्वारा निरसित।

¹ केन्द्रीय सरकार, पुलिस अधिनियम, 1888 (1888 का 3) की धारा 2 के अधीन, इस उपबन्ध के होते हुए भी दो या अधिक राज्यों के भागों को मिलाकर किसी विशेष पुलिस जिले का सृजन कर सकेगी।

दिल्ली राज्य के विषय में, देखिए—भारत का राजपत्र, 1912, भाग 1, पृ० 1105।

² 1895 के अधिनियम सं० 8 की धारा 1 द्वारा अन्तःस्थापित।

³ 1914 के अधिनियम सं० 10 की धारा 3 और अनुसूची II द्वारा “संख्या” और “लिंग” से संबंधित परिभाषाएं, निरसित की गई।

⁴ पशु अतिचार अधिनियम, 1871 (1871 का 1) की धारा 3 में “पशु” की स्पष्ट परिभाषा है।

⁵ भारत सरकार (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा अन्तःस्थापित।

⁶ बंगाल पुलिस अधिनियम, 1869 (1869 का बंगाल 7) द्वारा धारा 2 का, जहां तक यह बंगाल के उपराज्यपाल के प्रशासनाधीन प्रान्तों से संबंधित था, निरसन किया गया।

⁷ कुछ स्थानों में पुलिस बल के अभ्यावेदन के विषय में धारा 8 के नीचे टिप्पण देखिए।

⁸ भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा “और ऐसे बल के सदस्य ऐसा वेतन प्राप्त करेंगे” शब्दों का लोप किया गया।

⁹ भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा कतिपय शब्दों का लोप किया गया।

¹⁰ भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा “नियुक्त” का लोप किया गया।

¹¹ कलकत्ता शहर और उसके उपनगरों में पुलिस प्रशासन “पुलिस आयुक्त” में निहित हैं, देखिए—कलकत्ता पुलिस अधिनियम, 1866 (1866 का बंगाल 4) की धारा 3।

¹² भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा लोप किया गया।

7. **अवर अधिकारियों की नियुक्ति और पदच्युति इत्यादि**—¹[²संविधान के अनुच्छेद 311 के उपबन्धों के और ऐसे नियमों के,] जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस अधिनियम के अधीन बनाए जाएं, ²[अधीन रहते हुए] पुलिस महानिरीक्षक, उपमहानिरीक्षकगण, सहायक महानिरीक्षकगण, और जिला अधीक्षकगण, किसी समय अधीनस्थ पंक्तियों के ऐसे किसी अधिकारी को, पदच्युत, निलम्बित या अवनत कर सकेंगे] जिसे वे अपने कर्तव्य के निर्वहन में शिथिल या उपेक्षावान पाएं या जो उस पद के लिए अयोग्य समझे जाएं,

³[या ⁴[अधीनस्थ पंक्तियों के] ऐसे किसी पुलिस अधिकारी को जो अपने कर्तव्य का अनवधानता या उपेक्षापूर्ण रीति से निर्वहन करता है या जो स्वकार्येण अपने कर्तव्य के निर्वहन के लिए स्वतः को अयोग्य कर लेता है, निम्न दण्डों में से कोई एक या अधिक दे सकेगा, अर्थात् :—

(क) एक मास के वेतन से अनधिक किसी राशि का जुर्माना;

(ख) दण्ड रूप ड्रिल, अतिरिक्त पहरा, अतिश्रम या अन्य कार्य के सहित या रहित पंद्रह दिनों से अनधिक कालावधि के लिए क्वार्टर परिरोध;

(ग) सदाचरण वेतन से वंचित करना;

(घ) विशिष्ट या विशेष उपलब्धि के किसी पद से हटाना।]⁵

8. **पुलिस अधिकारियों को प्रमाणपत्र**—⁶[धारा 4 में वर्णित अधिकारी से भिन्न] प्रत्येक पुलिस अधिकारी को ⁷[पुलिस बल में नियुक्ति] पर, महानिरीक्षक या ऐसे अन्य अधिकारी की, जिसे महानिरीक्षक नियुक्त करे मुद्रांकित, इस अधिनियम से उपाबद्ध प्ररूप में एक प्रमाणपत्र मिलेगा जिसके फलस्वरूप ऐसे प्रमाणपत्र को धारण करने वाले व्यक्ति में पुलिस अधिकारी की शक्तियां, कृत्य और विशेषाधिकार निहित होंगे।

प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण—⁸[जब कभी प्रमाणपत्र में नामित व्यक्ति किसी कारण से पुलिस अधिकारी नहीं रहता है तब ऐसा प्रमाणपत्र प्रभावहीन हो जाएगा और उसके अधिकारी न रहने पर उसके द्वारा प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए सशक्त अधिकारी को तुरन्त अभ्यर्पित किया जाएगा।]

पुलिस अधिकारी अपने पद से निलम्बित होने के कारण पुलिस अधिकारी बने रहने से परिवरित नहीं हो जाएगा; ऐसे निलम्बन की अवधि में वे शक्तियां, कृत्य और विशेषाधिकार, जो पुलिस अधिकारी के रूप में उसमें निहित हैं, प्रास्थगित रहेंगे, किन्तु वह उन्हीं उत्तरदायित्वों, अनुशासन और शक्तियों और उन्हीं प्राधिकारियों के अधीन रहेगा, मानो वह निलम्बित नहीं हुआ है।]

9. **पुलिस अधिकारी बिना इजाजत या दो मास की सूचना के पद-त्याग नहीं करेंगे**—जब तक जिला अधीक्षक या ऐसी अनुमति देने के लिए प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी अभिव्यक्ततः अनुज्ञा न दे दे, कोई पुलिस अधिकारी अपने पद के कर्तव्यों से अपने को प्रत्याहृत करने के लिए या जब तक वह अपने वरिष्ठ अधिकारियों को त्यागपत्र देने के आशय की लिखित सूचना दो मास से अन्यून अवधि के लिए न दे दे, बिना जिला अधीक्षक की इजाजत के त्यागपत्र देने के लिए स्वतंत्र न होगा।

10. **पुलिस अधिकारी अन्य नियोजन में नहीं लगेगे**—जब तक महानिरीक्षक ऐसा करने के लिए अभिव्यक्ततः उसे लिखित रूप में अनुज्ञा न दे दे, कोई पुलिस अधिकारी इस अधिनियम के अधीन वाले अपने कर्तव्यों से भिन्न किसी नियोजन या पद में नहीं लगेगे।

¹ भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

² विधि अनुकूलन आदेश, 1950 (सं० आ० 29 द्वारा यथासंशोधित) द्वारा “ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

³ 1895 के अधिनियम सं० 8 की धारा 2 द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

⁴ भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा अन्तःस्थापित।

⁵ यू०पी० के कुछ स्थानों पर स्थापित लागू खण्ड (ड) के स्थान पर देखिए—1944 का यू०पी० अधिनियम 2।

⁶ निम्नलिखित के अभ्यावेशन, अनुरक्षण और अनुशासन और विषय में :—

- (1) (क) अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में नियोजित सेना पुलिस बल, देखिए—अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह सेना (भंग करना) विनियम, 1946 (1946 का 3),
- (ख) असम में नियोजित सेना पुलिस बल, देखिए—असम रायफल्स अधिनियम, 1941 (1941 का 5),
- (ग) बंगाल में नियोजित सेना पुलिस बल, देखिए—पूर्वी सीमान्त राइफल्स (बंगाल बटालियन) अधिनियम, 1920 (1920 का 2),
- (2) पंजाब सीमान्त पुलिस अधिकारी, देखिए—पंजाब सीमान्त पुलिस अधिकारी विनियम, 1893 (1893 का 7),
- (3) कलकत्ता और उपनगरीय पुलिस, देखिए—कलकत्ता पुलिस अधिनियम, 1866 (1866 का बंगाल 4) और कलकत्ता उपनगरीय पुलिस अधिनियम, 1866 (1866 का बंगाल 2);
- (4) उत्तर प्रदेश में नगरपालिका क्षेत्रों में पुलिस स्थापन, देखिए—उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (1916 का यू०पी० 2);
- (5) पंजाब में नगरपालिका क्षेत्रों में पुलिस स्थापन, देखिए—पंजाब नगरपालिका अधिनियम, 1911 (1911 का पंजाब 3);
- (6) संथाल परगना में ग्रामीण पुलिस, देखिए—संथाल परगना ग्रामीण पुलिस विनियम, 1910 (1910 का 4);
- (7) छोटा नागपुर ग्रामीण पुलिस, देखिए—छोटा नागपुर ग्रामीण पुलिस अधिनियम, 1914 (1914 का बी० एण्ड ओ० 1);
- (8) यू०पी० विशेष सशस्त्र पुलिस, देखिए—उत्तर प्रदेश विशेष सशस्त्र पुलिस अधिनियम, 1942 (1942 का यू०पी० 5);
- (9) दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन, देखिए—दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का 25); और
- (10) दिल्ली पुलिस, देखिए—दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 (1978 का 34)।

⁷ भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा “नियुक्त किया” शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

⁸ 1895 के अधिनियम सं० 8 की धारा 3 द्वारा मूल दूसरे पैरा के स्थान पर प्रतिस्थापित।

11. [पुलिस अधिवार्षिकी निधि]। निरसन अधिनियम, 1874 (1874 का 16) की धारा 1 और अनुसूची, भाग 1 द्वारा निरसित।

12. **महानिरीक्षक की नियम बनाने की शक्ति**—पुलिस महानिरीक्षक पुलिस बल के संगठन, वर्गीकरण और वितरण से, उन स्थानों से, जिनमें बल के सदस्य निवास करेंगे, और बल के सदस्यों द्वारा की जाने वाली विशिष्ट सेवाओं से, उनके निरीक्षण, उन्हें दिए जाने वाले आयुधों, साज-सज्जा और अन्य आवश्यक वस्तुओं के वर्णन से उनके द्वारा गुप्त वार्ता और जानकारी के संग्रहण और संसूचना से सम्बद्ध ऐसे आदेश और नियम जिन्हें वह समीचीन समझे, और पुलिस बल से सम्बद्ध ऐसे सब अन्य आदेश और नियम जिन्हें महानिरीक्षक कर्तव्य के दुरुपयोग या उपेक्षा के निवारण के लिए, और ऐसे बल को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में दक्ष बनाने के लिए समय-समय पर समीचीन समझे, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के अधीन समय-समय पर बना सकता है।

13. **व्यक्तिगत खर्च पर नियोजित अतिरिक्त पुलिस अधिकारी**—पुलिस महानिरीक्षक या किसी उपमहानिरीक्षक या सहायक महानिरीक्षक या जिला अधीक्षक के लिए जिले के मजिस्ट्रेट के साधारण निदेशन के अधीन रहते हुए यह विधिपूर्ण होगा कि वह उसकी आवश्यकता दर्शित करने वाले किसी व्यक्ति के आवेदन पर साधारण पुलिस जिले के अन्दर किसी स्थान पर शान्ति बनाए रखने के लिए और ऐसे समय के लिए जो उचित समझा जाए, पुलिस अधिकारियों की कोई अतिरिक्त संख्या प्रतिनियुक्त कर दे। ऐसा बल अनन्यतः जिला अधीक्षक के आदेशों के अधीन होगा और उसका भार आवेदन करने वाले व्यक्ति पर होगा :

परन्तु उस व्यक्ति के लिए, जिसके आवेदन पर ऐसा प्रतिनियोजन किया गया है, यह विधिपूर्ण होगा कि वह महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक, या सहायक महानिरीक्षक, या जिला अधीक्षक को एक मास की लिखित सूचना दे कर यह अपेक्षा करे कि इस प्रकार प्रतिनियुक्त पुलिस अधिकारी प्रत्याहृत किए जाएं, और ऐसा व्यक्ति ऐसे अतिरिक्त बल के भार से ऐसी सूचना के अवसान पर अवमुक्त हो जाएगा।

14. **रेल और अन्य कर्मों के आसपास अतिरिक्त बल की नियुक्ति**—जब कभी कोई रेल, नहर या अन्य लोककर्म या कोई विनिर्माणशाला या वाणिज्यिक समुत्थान देश के किसी भाग में चलाया जाए या क्रियाशील हो और महानिरीक्षक को यह प्रतीत हो कि ऐसे कर्म, विनिर्माणशाला या समुत्थान में नियोजित व्यक्तियों के आचरण या ऐसे आचरण की युक्तियुक्त आशंका के कारण ऐसे स्थान में अतिरिक्त पुलिस बल का नियोजन आवश्यक है, तब महानिरीक्षक के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह राज्य सरकार की सहमति से ऐसे स्थान में अतिरिक्त बल प्रतिनियुक्त कर दे और जब तक ऐसी आवश्यकता बनी रहे तब तक उसे वहां नियोजित रखे और ऐसे कर्म, विनिर्माणशाला या समुत्थान को चलाने में प्रयुक्त विधियों का नियंत्रण या अभिरक्षा जिस व्यक्ति के हाथ में है उसे अतिरिक्त बल के लिए जो इस प्रकार आवश्यक हो गया है, संदाय करने के लिए समय-समय पर आदेश दे, और तदुपरि ऐसा व्यक्ति तदनुसार संदाय कराएगा।

15. **विशुद्ध या संकटपूर्ण जिलों में अतिरिक्त पुलिस रखना**—(1) राज्य सरकार के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह राजपत्र में अधिसूचित की जाने वाली उद्घोषणा द्वारा और ऐसी अन्य रीति में जिसे राज्य सरकार निर्दिष्ट करे, यह घोषित कर दे कि उसके प्राधिकार के अधीन कोई क्षेत्र विशुद्ध या संकटमय अवस्था में पाया गया है या ऐसे क्षेत्र के निवासियों या उनके किसी वर्ग या अनुभाग के आचरण से यह समीचीन हो गया है कि पुलिस की संख्या बढ़ाई जाए।

(2) तदुपरि पुलिस महानिरीक्षक या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अन्य प्राधिकारी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह यथापूर्वोक्त घोषणा में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में रखे जाने के लिए उस नियत सामान्य संख्या के अतिरिक्त, पुलिस बल राज्य सरकार की मंजूरी से नियोजित करे।

(3) इस धारा की उपधारा (5) के उपबन्धों के अधीन, ऐसे अतिरिक्त पुलिस बल का खर्च उद्घोषणा में वर्णित क्षेत्र के निवासियों द्वारा वहन किया जाएगा।

(4) जिले का मजिस्ट्रेट ऐसी जांच के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, ऐसे खर्च का प्रभाजन उन निवासियों के बीच करेगा जो यथापूर्वोक्त, उसे वहन करने के दायित्वाधीन हैं और जिन्हें ठीक उत्तरवर्ती उपधारा के अधीन छूट नहीं दी गई है। ऐसा प्रभाजन ऐसे निवासियों के ऐसे क्षेत्र में उनके साधनों की बाबत मजिस्ट्रेट के निर्णय के अनुसार किया जाएगा।

(5) राज्य सरकार के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह आदेश द्वारा ऐसे खर्च के किसी भाग को वहन करने के दायित्व से किन्हीं व्यक्तियों या ऐसे निवासियों के किसी वर्ग या अनुभाग को छूट दे।

(6) इस धारा की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई प्रत्येक उद्घोषणा में वह कालावधि कथित होगी जिसमें वह प्रवृत्त रहेगी किन्तु वह किसी भी समय प्रत्याहृत की जा सकेगी या ऐसी और कालावधि या कालावधियों के लिए समय-समय पर चालू रखी जा सकेगी, जिन्हें राज्य सरकार प्रत्येक मामले में निर्दिष्ट करना ठीक समझे।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए “निवासियों” के अन्तर्गत वे व्यक्ति हैं, जो ऐसे क्षेत्र के अन्दर भूमि या अन्य स्थावर सम्पत्ति स्वयं या अपने अभिकर्ताओं या सेवकों द्वारा अधिभोग में रखते हैं या धारण करते हैं और वे भूधारक हैं जो ऐसे क्षेत्र में सीधे रैय्यतों या अधिभोगियों से स्वयं या अपने अभिकर्ताओं या सेवकों द्वारा भाटक संगृहीत करते हैं, इस बात के होते हुए भी कि वे वस्तुतः वहां निवास नहीं करते हैं।

¹ 1895 के अधिनियम सं० 8 की धारा 4 द्वारा मूल धारा के स्थान पर प्रतिस्थापित।

¹[15क. निवासियों या भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के दुराचरण से पीड़ितों को प्रतिकर अधिनिर्णीत करना—(1) यदि ऐसे किसी क्षेत्र में, जिसकी बाबत ठीक पूर्ववर्ती धारा के अधीन अधिसूचित कोई उद्घोषणा प्रदत्त है, ऐसे क्षेत्र के निवासियों या उनके किसी वर्ग या अनुभाग के दुराचरण के कारण या ऐसी कोई मृत्यु या घोर उपहति या सम्पत्ति की हानि या नुकसान उद्भूत हुई या हुआ है तो ऐसे क्षेत्र के निवासी ऐसे किसी व्यक्ति के लिए जो यह दावा करता है कि उसे दुराचरण से क्षति उठानी पड़ी है, क्षति की तारीख से एक मास, या ऐसी न्यूनतर कालावधि के अन्दर, जो विहित की जाए, उस जिले या जिले के उपखण्ड के, जिसके अन्दर ऐसा क्षेत्र स्थित है, मजिस्ट्रेट से प्रतिकर के लिए आवेदन करना विधिपूर्ण होगा।

(2) तदुपरि जिले के मजिस्ट्रेट के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह ऐसी जांच के पश्चात्, जो वह आवश्यक समझे, और चाहे ऐसे क्षेत्र में ठीक पूर्ववर्ती धारा के अधीन कोई अतिरिक्त पुलिस बल रखा गया हो या नहीं, राज्य सरकार की मंजूरी से,—

(क) उन व्यक्तियों को घोषित कर दे, जिन्हें ऐसे दुराचरण से उद्भूत, या उसके कारण क्षति हुई है;

(ख) ऐसे व्यक्तियों को दी जाने वाली प्रतिकर की राशि, और वह रीति जिसमें उसका उनमें वितरण किया जाएगा, नियत कर दे; और

(ग) वह अनुपात निर्धारित कर दे जिसमें वह राशि आवेदक से भिन्न ऐसे क्षेत्र के उन निवासियों द्वारा दी जाएगी जिन्हें संदाय करने के दायित्व से छूट ठीक पश्चात्पूर्वी उपधारा के अधीन नहीं दी गई है :

परन्तु मजिस्ट्रेट इस उपधारा के अधीन कोई घोषणा या निर्धारण नहीं करेगा जब तक कि उसकी यह राय न हो कि यथापूर्वोक्त क्षति ऐसे क्षेत्र के अन्दर बलवे या विधिविरुद्ध जमाव से उत्पन्न हुई थी और जिन घटनाओं से ऐसी क्षति हुई थी उन घटनाओं के विषय में वह व्यक्ति, जिसे क्षति उठानी पड़ी है, दोषरहित था।

(3) राज्य सरकार के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह आदेश द्वारा ऐसे प्रतिकर के किसी भाग के संदाय के दायित्व से किन्हीं व्यक्तियों या ऐसे निवासियों के किसी वर्ग या अनुभाग को छूट दे दे।

(4) जिले के मजिस्ट्रेट द्वारा उपधारा (2) के अधीन की गई प्रत्येक घोषणा या निर्धारण या दिया गया आदेश उस खण्ड के आयुक्त या राज्य सरकार के पुनरीक्षण के अधीन होगा किन्तु यथापूर्वोक्त के सिवाय वह अन्तिम होगा।

(5) ऐसी किसी क्षति के लिए जिसके लिए इस धारा के अधीन प्रतिकर अधिनिर्णीत हुआ है सिविल वाद नहीं चलेगा।

(6) स्पष्टीकरण—इस धारा में “निवासियों” शब्द का वही अर्थ है जो ठीक पूर्ववर्ती धारा में है।]

²[16. धारा 13, 14, 15 और 15क के अधीन संदेय धनों की वसूली और वसूली होने पर उनका व्ययन—(1) धारा 13, 14, 15 और 15क के अधीन देय सब धन जिले के मजिस्ट्रेट द्वारा उस रीति में, जो दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1882 (1882 का 10) की धारा 386 और 387 द्वारा जुमानों की वसूली के लिए उपबन्धित है, या किसी सक्षम न्यायालय में वाद द्वारा वसूल किए जा सकेंगे।

4*

*

*

*

*

(3) धारा 15क के अधीन संदत्त या वसूल किए गए सब धन, जिले के मजिस्ट्रेट द्वारा उन व्यक्तियों को, जिनको और उन अनुपातों में, जिनमें वे इस धारा के अधीन संदेय हैं, दिए जाएंगे।]

17. विशेष पुलिस अधिकारी—जब यह प्रतीत हो कि कोई विधिविरुद्ध जमाव या बलवा या शान्ति भंग हुई है या युक्तियुक्त रूप से होने की आशंका है और शान्ति के परिरक्षण के लिए सामान्यतया नियोजित पुलिस बल उस स्थान में, जहां ऐसा विधिविरुद्ध जमाव या बलवा या शान्ति भंग हुई है या होने की आशंका है, शान्ति के परिरक्षण के लिए और निवासियों के संरक्षण और सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए पर्याप्त नहीं है तब निरीक्षक की पंक्ति से अनिम्न पंक्ति के किसी पुलिस अधिकारी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह निकटतम मजिस्ट्रेट से यह आवेदन करे कि आसपास के इतने निवासी, जितने पुलिस अधिकारी अपेक्षा करे, ऐसे समय के लिए और ऐसी सीमाओं के अन्दर जैसा कि वह आवश्यक समझे, विशेष पुलिस अधिकारियों के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर दिए जाएं और जिस मजिस्ट्रेट से ऐसा आवेदन किया जाता है वह, जब तक कि इसके प्रतिकूल कारण दिखाई न पड़े आवेदन का अनुवर्तन करेगा।

18. विशेष पुलिस अधिकारियों की शक्तियां—इस प्रकार नियुक्त प्रत्येक विशेष पुलिस अधिकारी की शक्तियां, विशेषाधिकार और परित्राण पुलिस के सामान्य अधिकारी के समान होंगे और वह पुलिस के सामान्य अधिकारी के समान वैसे ही कर्तव्यों का पालन करने के दायित्वाधीन होगा और वैसे ही शक्तियों और वैसे ही अधिकारियों के अधीनस्थ होगा।

19. विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में सेवा करने से इन्कार—यदि कोई व्यक्ति यथापूर्वोक्त विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त किए जाने पर पर्याप्त प्रतिहेतु के बिना ऐसी सेवा करने में या ऐसी विधिपूर्ण आज्ञा या निदेश का, जो उसे, उसके कर्तव्यों के पालन के लिए किया जाए, अनुवर्तन करने में उपेक्षा या इंकार करता है तो वह किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष दोषसिद्धि पर ऐसी प्रत्येक उपेक्षा, इन्कार या अवज्ञा करने के लिए पचास रुपए से अनधिक जुर्माने से दण्डनीय होगा।

¹ 1895 के अधिनियम सं० 8 की धारा 5 द्वारा अन्तःस्थापित।

² 1895 के अधिनियम सं० 8 की धारा 6 द्वारा मूल धारा के स्थान पर प्रतिस्थापित।

³ अब दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम सं० 2) की धाराएं 421 और 422 देखिए।

⁴ भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा उपधारा (2) का लोप किया गया। तथापि भारत, बर्मा (अस्थायी उपबन्ध) आदेश, 1937 का पैरा 4 देखिए।

20. पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला प्राधिकार—इस अधिनियम के अधीन भर्ती किए गए पुलिस अधिकारी इस अधिनियम और दण्ड प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए इसके पश्चात् पारित किसी अधिनियम के अधीन पुलिस अधिकारी के लिए उपबन्धित प्राधिकार के सिवाय किसी प्राधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे।

21. ग्राम पुलिस अधिकारी—इस अधिनियम में कोई बात किसी आनुवंशिक या अन्य ग्राम पुलिस अधिकारी को प्रभावी नहीं करेगी जब तक कि वह अधिकारी इस अधिनियम के अधीन पुलिस अधिकारी के रूप में भर्ती नहीं किया जाए। इस प्रकार भर्ती किए जाने पर ऐसा अधिकारी ठीक पूर्ववर्ती धारा के उपबन्धों से आवद्ध होगा। कोई आनुवंशिक या अन्य ग्राम पुलिस अधिकारी बिना अपनी सम्मति के और बिना उनकी सम्मति के, जिन्हें नामनिर्देशन का अधिकार है, भर्ती नहीं किया जाएगा।

फोर्ट विलियम की प्रेंसिडेन्सी में पुलिस चौकीदार—यदि 1856 के अधिनियम 20² के अधीन (बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेंसिडेन्सी में नगरों, शहरों, स्टेशनों, नगरांचल और बाजारों में पुलिस चौकीदारों को नियुक्त करने और बनाए रखने के लिए अधिक अच्छा उपबन्ध करने के लिए) नियुक्त कोई पुलिस अधिकारी उस जिले के बाहर नियोजित किया जाता है, जिसके लिए वह उस अधिनियम के अधीन नियुक्त किया गया है तो उसको उस जिले के लिए उक्त अधिनियम के अधीन उद्गृहीत स्थानीय करों में से संदाय नहीं किया जाएगा।

22. पुलिस अधिकारी सदैव कर्तव्यारूढ़ होंगे और जिले के किसी भी भाग में नियोजित किए जा सकेंगे—प्रत्येक पुलिस अधिकारी इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट सब प्रयोजनों के लिए, सदैव कर्तव्यारूढ़ माना जाएगा और किसी भी समय साधारण पुलिस जिले के किसी भी भाग में पुलिस अधिकारी के रूप में नियोजित किया जा सकेगा।

23. पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य—प्रत्येक पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे विधिपूर्वक जारी किए गए सब आदेशों और वारंटों का सत्वर पालन और निष्पादन करे, लोक शान्ति को प्रभावित करने वाली गुप्त वार्ता का संग्रहण और संसूचना करे, अपराधों और लोक न्याय के लिए किए जाने का निवारण करे, अपराधियों का पता चलाए और न्यायालय के समक्ष लाए गए उन सब व्यक्तियों को पकड़े, जिन्हें पकड़ने के लिए वह वैधतः प्राधिकृत है और जिनको पकड़ने के लिए पर्याप्त आधार विद्यमान है, और प्रत्येक पुलिस अधिकारी के लिए इस धारा में वर्णित प्रयोजनों में से किसी के लिए किसी मदिरालय, जुआघर, या भ्रष्ट या उच्छृङ्खल व्यक्तियों के समागम के अन्य स्थान में बिना वारंट प्रवेश करना और उसका निरीक्षण करना विधिपूर्ण होगा।

24. पुलिस अधिकारी इत्तिला इत्यादि कर सकेंगे—किसी पुलिस अधिकारी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह कोई इत्तिला मजिस्ट्रेट को दे, और समन, वारंट, तलाशी वारंट या अन्य ऐसी विधिक आदेशिका के लिए, जो अपराध करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध विधि के अनुसार निकाली जा सकती है, आवेदन करे^{3***}।

25. पुलिस अधिकारी बिना दावे वाली सम्पत्ति को अपने भारसाधन में लेंगे और इसके व्ययन की बाबत मजिस्ट्रेट के आदेशों के अधीन होंगे—और प्रत्येक पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह सब बिना दावे वाली सम्पत्ति को अपने भारसाधन में ले और उसकी तालिका जिले के मजिस्ट्रेट को दे।

पुलिस अधिकारी ऐसी सम्पत्ति के व्ययन के विषय में ऐसे आदेशों के मार्गदर्शन लेकर कार्य करेंगे जो उन्हें जिले के मजिस्ट्रेट से प्राप्त हों।

26. मजिस्ट्रेट सम्पत्ति को निरुद्ध कर सकेगा और उद्घोषणा निकाल सकेगा—(1) जिले का मजिस्ट्रेट सम्पत्ति को निरुद्ध कर सकेगा, और उन वस्तुओं का जिनके रूप में वह है निर्देश करते हुए और यह अपेक्षा करते हुए उद्घोषणा निकाल सकेगा कि कोई व्यक्ति जो उस पर कोई दावा रखता है, ऐसी उद्घोषणा की तारीख से छह मास के अन्दर उपसंजात होकर उस पर अपना अधिकार स्थापित करे।

⁴[(2) ⁵दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1882 (1882 का 10) की धारा 525 के उपबन्ध, इस धारा में निर्दिष्ट सम्पत्ति को लागू होंगे।]

27. यदि कोई दावेदार उपसंजात नहीं होता, तो सम्पत्ति का अधिहरण—(1) यदि कोई व्यक्ति ऐसी सम्पत्ति पर, या यदि वह बेच दी गई है तो उसके आगमों पर, उस कालावधि के अन्दर, जो अनुज्ञात की गई है, दावा नहीं करता है, तो यदि वह ठीक पूर्ववर्ती धारा की उपधारा (2) के अधीन पहले ही बेच नहीं दी गई है तो वह जिले के मजिस्ट्रेट के आदेशों के अधीन बेच दी जाएगी।

¹ कुछ मामलों में, जिनमें धारा 20 का लागू होना निर्बन्धित किया गया, देखिए—असम पुलिस अधिकारी विनियम, 1883 (1883 का 2) और पंजाब सीमान्त पुलिस अधिकारी विनियम, 1893 (1893 का 7) की धारा 2।

² बंगाल चौकादारी अधिनियम, 1856।

³ 1882 का अधिनियम सं० 10 की धारा 2 और अनुसूची 1(ख) द्वारा “और ऐसे व्यक्ति के, अन्तिम निर्णय तक, अभियोजनार्थ” शब्दों का निरसन किया गया।

⁴ 1895 के अधिनियम सं० 8 की धारा 7 द्वारा अन्तःस्थापित।

⁵ अब दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 459 देखिए।

⁶ 1895 के अधिनियम सं० 8 की धारा 8 द्वारा मूल धारा के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(2) पूर्ववर्ती उपधारा के अधीन बेची गई सम्पत्ति के विक्रय आगम और धारा 26 के अधीन बेची गई सम्पत्ति के आगम जिन पर कोई दावा स्थापित नहीं हुआ है, [राज्य सरकार के व्ययनाधीन होंगे।]

28. पुलिस अधिकारी न रहने पर प्रमाणपत्र इत्यादि का परिदान करने से इन्कार करने वाले व्यक्ति—इस अधिनियम के अधीन भर्ती किया गया पुलिस अधिकारी न रहने पर प्रत्येक व्यक्ति, जो अपना प्रमाणपत्र और वस्तु, साज-सज्जा, नियुक्तियों और अन्य आवश्यक वस्तुओं को, जो उसे उसके कर्तव्य के निष्पादन के लिए प्रदाय की गई थी, तत्काल परिदान नहीं करता है, मजिस्ट्रेट के समक्ष दोषसिद्धि पर दो सौ रुपए से अनधिक शास्ति या छह मास से अनधिक कालावधि के लिए कठोर श्रम सहित या रहित कारावास से या दोनों से दण्डनीय होगा।

29. कर्तव्य इत्यादि की उपेक्षा के लिए शास्तियां—प्रत्येक पुलिस अधिकारी, जो कर्तव्य के किसी अतिक्रमण या सक्षम अधिकारी द्वारा बनाए गए किसी नियम या विनियम या दिए गए विधिपूर्ण आदेश को जानबूझकर भंग या उपेक्षा करने का दोषी है या जो अपने पद के कर्तव्यों से बिना अनुज्ञा के या बिना दो मास की कालावधि की पूर्व सूचना दिए प्रत्याहरण करता है [या जो छुट्टी पर अनुपस्थित होने पर ऐसी छुट्टी के अवसान पर, बिना युक्तियुक्त कारण के कर्तव्य पर उपस्थित नहीं होता है] या जो बिना प्राधिकार के अपने पुलिस कर्तव्य से भिन्न किसी नियोजन में लगता है या जो कायरता का दोषी है या जो अपनी अभिरक्षा में के किसी व्यक्ति के प्रति अवैध शारीरिक हिंसा करता है, मजिस्ट्रेट के समक्ष दोषसिद्धि पर, तीन मास के वेतन से अनधिक शास्ति या तीन मास से अनधिक कालावधि के लिए कठोर श्रम सहित या रहित कारावास से या दोनों से दण्डनीय होगा।

30. लोक जमावों और जुलूसों का विनियमन और उनके लिए अनुज्ञप्ति देना—(1) पुलिस का जिला अधीक्षक या सहायक जिला अधीक्षक, लोक सड़कों पर या लोक मार्गों पर या आम रास्तों में सब जमाव और जुलूसों के आचरण को अवसर पर यथा अपेक्षित रूप में निर्दिष्ट कर सकेगा और वे मार्ग जिनसे और वे समय, जिन पर ऐसे जुलूस जा सकेंगे, विहित कर सकेगा।

(2) वह, यह समाधान होने पर कि किन्हीं व्यक्तियों या किन्हीं व्यक्तियों के वर्ग का किसी ऐसी सड़क, मार्ग या आम रास्तों में ऐसा कोई जमाव बुलाने या एकत्र करने या ऐसा कोई जुलूस बनाने का आशय है, जिसकी बाबत जिले के या जिले के उपखण्ड के मजिस्ट्रेट का यह विचार है कि यदि वह अनियंत्रित रहा तो शांति भंग होने की संभाव्यता है, साधारण या विशेष सूचना द्वारा यह अपेक्षा कर सकेगा कि ऐसे सम्मेलन को बुलाने या एकत्र करने वाले या ऐसे जुलूस का निदेशन या संप्रवर्तन करने वाले व्यक्ति अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करें।

(3) ऐसा आवेदन किए जाने पर वह अनुज्ञप्तिधारी के नामों को विनिर्दिष्ट करके और उन शर्तों को परिनिश्चित करके, जिन पर ही ऐसा जमाव करने या ऐसा जुलूस बनाने के लिए अनुज्ञा दी गई है, और उस धारा से अन्यथा प्रभावी करने वाली अनुज्ञप्ति दे सकेगा :

परन्तु ऐसी किसी अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन या उसके अनुदान पर कोई फीस नहीं लगाई जाएगी।

(4) **मार्गों में संगीत**—वह त्यौहारों और समारोहों के अवसर पर, मार्गों में कितना संगीत हो उसको भी विनियमित कर सकेगा।

30क. अनुज्ञप्ति की शर्तों का अतिक्रमण करने वाले जमावों और जुलूसों के सम्बन्ध में शक्तियां—(1) कोई मजिस्ट्रेट या पुलिस का जिला अधीक्षक या पुलिस का सहायक जिला अधीक्षक या पुलिस निरीक्षक, या थाने का भारसाधक पुलिस अधिकारी ऐसे किसी जुलूस को, जो अन्तिम पूर्वगामी धारा के अधीन अनुदत्त किसी अनुज्ञप्ति की शर्तों का अतिक्रमण करता है, रोक सकेगा और उसे या ऐसे किसी जमाव को, जो किन्हीं यथापूर्वोक्त शर्तों का अतिक्रमण करता है, बिखर जाने का आदेश दे सकेगा।

(2) जो कोई जुलूस या जमाव अन्तिम पूर्ववर्ती उपधारा के अधीन दिए गए किसी आदेश के पालन करने में उपेक्षा करता है या इन्कार करता है वह विधिविरुद्ध जमाव समझा जाएगा।

31. पुलिस लोक सड़कों इत्यादि पर व्यवस्था बनाए रखेगी—पुलिस का यह कर्तव्य होगा कि वह लोक सड़कों पर और लोक मार्गों, आम रास्तों, घाटों और उतरने के स्थानों और लोक समागम के अन्य सब स्थानों में व्यवस्था बनाए रखे और जमावों और जुलूसों के होने के अवसर पर लोक सड़कों और लोक मार्गों में लोक उपासना के समय उपासना स्थानों के आसपास और किसी भी अवस्था में, जब किसी सड़क, मार्ग, आम रास्ता, घाट या उतरने के स्थान पर भीड़ हो या उसमें बाधा होने की सम्भाव्यता हो, बाधाओं का निवारण करे।

32. ठीक पूर्ववर्ती तीन धाराओं के अधीन निकाले गए आदेशों की अवज्ञा के लिए शास्ति—ठीक पूर्ववर्ती [तीन] धाराओं के अधीन निकाले गए आदेशों का विरोध या अवज्ञा करने वाला या संगीत के लिए या जमावों और जुलूसों के आचरण के लिए पुलिस के

¹ भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा “सरकार के व्ययनाधीन” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

² 1895 का अधिनियम सं० 8 की धारा 9 द्वारा अन्तःस्थापित।

³ 1895 के अधिनियम सं० 8 की धारा 10 द्वारा मूल धारा के स्थान पर प्रतिस्थापित।

⁴ 1895 का अधिनियम सं० 8 की धारा 11 द्वारा अन्तःस्थापित।

⁵ 1895 का अधिनियम सं० 8 की धारा 12 द्वारा “दो” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

जिला अधीक्षक या सहायक जिला अधीक्षक द्वारा अनुदत्त किसी अनुज्ञप्ति की शर्तों का अतिक्रमण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति मजिस्ट्रेट के समक्ष दोषसिद्धि पर दो सौ रुपये से अनधिक जुर्माने से दण्डनीय होगा।

33. जिले के मजिस्ट्रेट के नियंत्रण की व्यावृत्ति—ठीक पूर्ववर्ती [चारों] धाराओं की किसी बात की बावत यह न समझा जाएगा कि वह उनमें निर्दिष्ट मामलों पर जिले के मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण में हस्तक्षेप है।

34. सड़कों पर कतिपय अपराधों के लिए दण्ड इत्यादि—पुलिस अधिकारियों की शक्तियाँ—कोई व्यक्ति जो ऐसे किसी शहर की सीमाओं के अन्दर, जिस पर इस धारा का विस्तार राज्य सरकार ने विशेषतया किया है, कि सड़क पर या किसी ²[खुले स्थान या] मार्ग या आम रास्ते में निम्न अपराधों में से कोई अपराध करता है जिससे ³[निवासियों या यात्रियों] को बाधा, असुविधा, क्षोभ, जोखिम, संकट या नुकसान पहुंचता है, वह मजिस्ट्रेट के समक्ष दोषसिद्धि पर पचास रुपये से अनधिक जुर्माने या ⁴[कठोर परिश्रम सहित या रहित] आठ दिन से अनधिक कारावास से दण्डनीय होगा; और किसी पुलिस अधिकारी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को जो उसके सामने ऐसे अपराधों में से कोई अपराध करता है बिना वारण्ट के अभिरक्षा में ले ले, अर्थात् :—

प्रथम—डोर वध, बेतहाशा सवारी आदि—कोई व्यक्ति जो किसी डोर का वध करता है या किसी पशु शव को साफ करता है कोई व्यक्ति, जो अन्धाधुन्ध या बेतहाशा किसी डोर पर सवारी करता है या उसे हांकता है या किसी घोड़े या अन्य पशुओं को फेरता या निकालता है।

द्वितीय—जीव-जन्तु के साथ निर्दयता—कोई व्यक्ति जो किसी जीव-जन्तु को स्वैरिता या निर्दयता से मारता है, दुरुपयोग करता है या यातना देता है।

तृतीय—यात्रियों को बाधा पहुंचाना—कोई व्यक्ति जो किसी डोर या किसी प्रकार के प्रवहण को उस पर माल लाने या उस पर से माल उतारने या यात्रियों को लाने या उतारने के लिए अपेक्षित समय से अधिक समय के लिए खड़ा करता है या जो किसी प्रवहण को इस तरह छोड़ देता है जिससे जनता को असुविधा होती है या संकट पैदा होता है।

चतुर्थ—विक्रय के लिए वस्तुओं को अभिदर्शित करना—कोई व्यक्ति, जो विक्रय के लिए किन्हीं वस्तुओं को अभिदर्शित करता है।

पंचम—मार्ग पर धूल फेंकना—कोई व्यक्ति जो किसी कर्कट, गन्दगी, कूड़ा या किन्हीं पत्थरों या इमारती सामग्री को फेंकता या डालता है या जो किसी गौशाला या अश्वशाला तत्सदृश सन्निर्माण करता है या जो किसी गृह, कारखाने, गोबर या अन्य पशुओं के मल के ढेर या तत्सदृश से कोई संतापकारी पदार्थ बहाता है।

षष्ठ—मत्त या बलवात्मक पाया जाना—कोई व्यक्ति जो मत्त या बलवात्मक पाया जाता है या अपनी सम्भाल करने में असमर्थ है।

सप्तम—शरीर का अशिष्ट अभिदर्शन—कोई व्यक्ति जो जानबूझकर और अशिष्टता से अपने शरीर को या किसी संतापकारी अंग विकार या रोग को अभिदर्शित करता है या किसी तालाब या जलाशय में, जो उस प्रयोजन के लिए पृथक् नहीं रखा गया है, मलमूत्र त्याग, स्नान या धोने की क्रिया द्वारा न्यूसेन्स करता है।

अष्टम—संकटपूर्ण स्थानों के संरक्षण में उपेक्षा—कोई व्यक्ति जो कुएं, तालाब या अन्य संकटपूर्ण स्थान या संरचना को बाड़ लगाने या सम्यक् रूपेण संरक्षित करने में उपेक्षा करता है।

35. अधिकारिता—⁵*** इस अधिनियम के अधीन कांस्टेबल की पंक्ति से ऊपर के पुलिस अधिकारी के विरुद्ध किसी आरोप की जांच और अवधारण मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने वाले अधिकारी द्वारा ही किया जाएगा।

36. अन्य विधि के अधीन अभियोजित करने की शक्तियाँ प्रभावित नहीं होंगी—इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह इस अधिनियम द्वारा दण्डनीय किए गए किसी अपराध के लिए किसी अन्य विनियम या अधिनियम के अधीन अभियोजन किए जाने से या किसी अन्य विनियम या अधिनियम के अधीन इस अधिनियम द्वारा ऐसे अपराध के लिए उपबन्धित से भिन्न या उच्चतर शास्ति या दण्ड के लिए दायित्वाधीन होने से किसी व्यक्ति को निवारित करती है :

परन्तु—परन्तु कोई व्यक्ति उसी अपराध के लिए दो बार दण्डित नहीं किया जाएगा।

⁷[**37. मजिस्ट्रेट द्वारा अधिरोपित शास्तियों और जुर्मानों की वसूली**—भारतीय दण्ड संहिता, (1860 का 45) की धारा 64 से 70 तक के, दोनों धाराओं सहित, और ⁸दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1882 (1882 का 10) की धारा 386 से लेकर 389 तक के, दोनों धाराओं

¹ 1895 का अधिनियम सं० 8 की धारा 12 द्वारा “तीनों” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

² 1895 का अधिनियम सं० 8 की धारा 13 द्वारा अन्तःस्थापित।

³ 1895 का अधिनियम सं० 8 की धारा 13 द्वारा “निवासी और यात्री” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

⁴ 1903 के अधिनियम सं० 1 की धारा 3 और अनुसूची 2 द्वारा अन्तःस्थापित।

⁵ 1882 के अधिनियम सं० 10 की धारा 2 और अनुसूची I(ख) द्वारा कतिपय शब्द निरसित।

⁶ जैसे कि प्रथम श्रेणी के किसी मजिस्ट्रेट द्वारा :— देखिए—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम सं० 2) की धारा 3(1)।

⁷ 1895 के अधिनियम सं० 8 की धारा 14 द्वारा धारा 37 से 40 के स्थान पर प्रतिस्थापित।

⁸ अब देखिए—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 421 से 424।

सहित, जुर्मानों से सम्बन्धित उपबन्ध मजिस्ट्रेट के समक्ष दोषसिद्धि पर इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित शास्तियों और जुर्मानों को लागू होंगे :

परन्तु प्रथम वर्णित संहिता की धारा 65 में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम की धारा 34 के अधीन जुर्माने से दण्डादिष्ट कोई व्यक्ति, ऐसे जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने पर आठ दिन से अनधिक किसी कालावधि के लिए कारावासित किया जा सकेगा ।]

38. [जब तक विवरणी नहीं दी जाती है तब तक करस्थम्-वारण्ट के लिए प्रक्रिया ।] पुलिस अधिनियम (1861) संशोधन अधिनियम, 1895 (1895 का 8) की धारा 14 द्वारा निरसित ।

39. [यदि करस्थम् पर्याप्त नहीं है तो कारावास ।]—पुलिस अधिनियम (1861) संशोधन अधिनियम, 1895 (1895 का 8) की धारा 14 द्वारा निरसित ।

40. [यूरोपीय ब्रिटिश प्रजा से जुर्मानों का उद्ग्रहण ।]—पुलिस अधिनियम (1861) संशोधन अधिनियम, 1895 (1895 का 8) की धारा 14 द्वारा निरसित ।

41. [पुलिस और भेदियों के इनाम साधारण पुलिस निधि को संदेय ।]—भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937¹ द्वारा निरसित ।

42. कार्यवाहियों के लिए परिसीमा—किसी व्यक्ति के विरुद्ध वे सब कार्यवाहियां और अभियोजन, जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन की गई या किए जाने के लिए आशयित या एतद्द्वारा दी गई साधारण पुलिस शक्तियों के अधीन की गई किसी बात के लिए, वैधतः किए जा सकते हैं, परिवादित कार्य के किए जाने के पश्चात् तीन मास के अन्दर न कि अन्यथा आरम्भ किए जाएंगे और ऐसे वाद की, और उसके हेतुक की, लिखित सूचना प्रतिवादी को या उस जिले के जिसमें कार्य किया गया था, जिला अधीक्षक या सहायक जिला अधीक्षक को वाद के आरम्भ से कम से कम एक मास पूर्व दी जाएगी ।

अभितुष्टि की निविदा—ऐसे वाद के चलाए जाने से पूर्व यदि प्रतिवादी के द्वारा या निमित्त पर्याप्त अभितुष्टि की निविदा की गई है या यदि ऐसे वाद के चलाए जाने के पश्चात् धन की पर्याप्त राशि न्यायालय में संदाय कर दी गई है तो कोई परिवादी ऐसे किसी वाद में प्रत्युद्घरण राशि नहीं पाएगा और चाहे किसी ऐसे वाद में परिवाद के पक्ष में डिक्री ली गई हो तो भी, जब तक वह न्यायाधीश, जिसके समक्ष विचारण हुआ है, यह प्रमाणित कर दे कि कार्यवाही को उसका अनुमोदन प्राप्त है ऐसे परिवादी को प्रतिवादी के विरुद्ध कोई खर्चा नहीं दिया जाएगा :

परन्तुक—परन्तु सदैव यह कि उस दशा में कोई कार्यवाही नहीं होगी जहां ऐसे अधिकारियों का उसी कार्य के लिए आपराधिक अभियोजन हो चुका है ।

43. यह अभिवचन कि कार्य वारन्ट के अधीन किया गया था—जब किसी पुलिस अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही या अभियोजन, अधिकारी की हैसियत से उसके द्वारा किए गए किसी कार्य के लिए चलाया जाए या कोई कार्यवाहियां की जाएं तो उसके लिए यह अभिवचन करना विधिपूर्ण होगा कि उसने ऐसा कार्य मजिस्ट्रेट द्वारा निकाले गए वारन्ट के प्राधिकार के अधीन किया था ।

ऐसा अभिवचन उस कार्य का निदेश देने वाला और ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा जिसका हस्ताक्षरित होना तात्पर्यित है ऐसा वारन्ट पेश करके सिद्ध किया जाएगा । और तब प्रतिवादी, ऐसे मजिस्ट्रेट की अधिकारिता में कोई त्रुटि होने पर भी अपने पक्ष में डिक्री पाने का हकदार होगा, जब तक न्यायालय को ऐसे मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर के असली होने पर शंका का कारण न हो, उसके हस्ताक्षर को सिद्ध करना आवश्यक न होगा :

परन्तुक—परन्तु सदैव कि यह ऐसा वारन्ट निकालने वाले प्राधिकारी के खिलाफ जो कोई उपचार पक्षकार को प्राप्त है वह इस धारा में अन्तर्विष्ट किसी बात से प्रभावित नहीं होगा ।

44. पुलिस अधिकारी डायरी रखेंगे—प्रत्येक पुलिस थाने के भारसाधक पदाधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे प्ररूप में, जो राज्य सरकार समय-समय पर विहित करे, एक साधारण डायरी रखे और किए गए सब परिवादों और आरोपों को, गिरफ्तार किए गए सब व्यक्तियों के नामों को, परिवादियों के नामों को उनके विरुद्ध आरोपित अपराधों को, उन आयुधों या सम्पत्ति को, जो उनके कब्जे से अन्यथा ली गई हो, और उन साक्षियों के नामों को, जिनकी परीक्षा की गई है, उनमें अभिलिखित करे ।

जिले का मजिस्ट्रेट ऐसी डायरी को मंगवाने और उसका निरीक्षण करने के लिए स्वतंत्र होगा ।

45. राज्य सरकार विवरणियों का प्ररूप विहित कर सकेगी—राज्य सरकार यह निदेश दे सकेगी कि महानिरीक्षक और अन्य पुलिस अधिकारी ऐसी विवरणियां भेजें, जो राज्य सरकार को उचित प्रतीत हों, और राज्य सरकार वह प्ररूप विहित कर सकेगी जिसमें ऐसी विवरणियां दी जाएंगी ।

¹ देखिए—तथापि, भारत और बर्मा (अस्थायी उपबन्ध) आदेश, 1937, धारा 41 निम्नलिखित रूप में पढ़ी जाए :—

“पुलिस अधिकारियों” द्वारा आदेशिका की तामील पर संदत्त सब रकमों और सब पुरस्कारों, सम्पहरणों और शास्तियों या पुरस्कारों, सम्पहरणों और शास्तियों के अंश का, जो विधि द्वारा भेदियों का संदेय हों, जब कि सूचना किसी पुलिस अधिकारी द्वारा दी गई है, साधारण पुलिस निधि में संदत्त किया जा सकेगा ।

² 1871 के अधिनियम सं० 9 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा धारा 42 का, उस सीमा तक (मोटे शब्दों में), जहां तक वादों की परिसीमा से संबंधित है, निरसन किया गया ।

¹**46. अधिनियम की परिधि**—(1) यह अधिनियम अपने ही प्रवर्तन से किसी ²[प्रेसिडेन्सी] राज्य या स्थान में प्रभावशील नहीं होगा। किन्तु ³[राज्य सरकार] राजपत्र में प्रकाशित किए जाने वाले आदेश द्वारा इस सम्पूर्ण अधिनियम या उसके किसी भाग का विस्तार किसी प्रेसिडेन्सी, राज्य या स्थान पर कर सकेगी और यह सम्पूर्ण अधिनियम या इसका उतना भाग, ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट हो, तदन्तर ऐसी प्रेसिडेन्सी, राज्य या स्थान में प्रभावशील होगा।

(2) जब यह सम्पूर्ण अधिनियम या इसका कोई भाग इस प्रकार विस्तारित कर दिया जाएगा तब राज्य सरकार—

(क) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उन पर अधिरोपित किसी कर्तव्य के निर्वहन में मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए;

(ख) समय, रीति और उन शर्तों को, जिनके अन्दर और जिनके अधीन धारा 15 के अधीन प्रतिकर के लिए दावे किए जाने हैं, ऐसे दावों में कथन की जाने वाली विशिष्टियों को, वे जिस रीति में सत्यापित की जानी हैं उसको और उनके परिणामस्वरूप जो कार्यवाहियां (जिनके अन्तर्गत, यदि आवश्यक हो तो स्थानीय जांच है) की जानी हैं उन्हें विहित करने के लिए; और

(ग) साधारणतः इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा समय-समय पर इस अधिनियम से संगत नियम बना सकेगी।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए सब नियम समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा संशोधित, परिवर्धित या रद्द किए जा सकेंगे।]

47. पुलिस के जिला अधीक्षक का ग्राम पुलिस पर प्राधिकार—राज्य सरकार के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह ऐसी राज्य सरकार के अधीन के राज्यक्षेत्र के किसी भाग में इस अधिनियम को प्रभावशील करने में यह घोषित करे कि जो प्राधिकार जिले का मजिस्ट्रेट पुलिस के प्रयोजनों के लिए किसी ग्राम चौकीदार या अन्य ग्राम पुलिस अधिकारी पर प्रयोग करता है या कर सकता है उसे पुलिस का जिला अधीक्षक जिले के मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण के अधीन, प्रयोग करेगा।

प्रारूप

(धारा 8 देखिए)

क ख 1861 के अधिनियम 5 के अधीन पुलिस बल का सदस्य नियुक्त किया गया है और उसमें पुलिस अधिकारी की शक्तियां, कृत्य और विशेषाधिकार निहित किए गए हैं।

¹ 1895 के अधिनियम सं० 8 की धारा 15 द्वारा मूल धारा के स्थान पर प्रतिस्थापित।

² मद्रास और बम्बई राज्यों में विशेष पुलिस अधिनियम हैं, देखिए मद्रास जिला पुलिस अधिनियम, 1859 (1859 का 24) और बम्बई जिला पुलिस अधिनियम, 1867 (1867 का 7)। बंगाल के निचले प्रान्तों में 1869 का बंगाल अधिनियम 7, 1861 का अधिनियम 5 के भाग के रूप में पढ़ा और जाना जाएगा., देखिए—पूर्ववर्ती अधिनियम की धारा 6।

इस अधिनियम का, मूल धारा द्वारा प्रदत्त शक्ति के अधीन, निम्नलिखित पर विस्तार किया गया :—

(1) उत्तर प्रदेश, अजमेर और मेरवाड़ा सहित जो कि तत्समय उस सरकार के अधीन थे, देखिए—उत्तर पश्चिमी प्रान्तों का गजट, 1861, पृ० सं० 634 में अधिसूचना सं० 964।

[1895 के अधिनियम सं० 8 की धारा 16 द्वारा मूल धारा 46 के पैरा 2 (जैसा कि उस धारा के पैरा 1 के अधीन सम्पूर्ण प्रान्त पर अधिनियम के विस्तारण के पश्चात् है) के अधीन उत्तर प्रदेश के 27 जिलों, हमीरपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर, नैनीताल (तराई परगना सहित) और अल्मोड़ा तथा गढ़वाल में, अधिनियम के अभ्यावेदन के विषय में आदेश, प्रवृत्त रहे।]

(2) अवध, देखिए—उत्तर पश्चिमी प्रान्त राजपत्र, 1861, पृ० 1758 में अधिसूचना सं० 34।

(3) इलाहाबाद और जबलपुर के मध्य भू-भाग पर कुछ देशी राज्यों द्वारा प्रभुसत्ता का पूर्णतया परित्याग किया गया।

(4) मध्य प्रान्त, नागपुर के जिलों, रायपुर, भण्डारा, चान्दा और छिन्दवाड़ा, सिरोंचा, नीमार।

(5) बंगाल और असम।

(6) पंजाब में कई जिले, देखिए—कलकत्ता, राजपत्र तारीख 18 मई, 1861, पृ० 1302, अधिसूचना सं० 971, तारीख 15 मई, 1861। धारा, जैसी कि यह 1 अप्रैल, 1937 से पहले थी, द्वारा प्रदत्त शक्ति के अधीन इसका विस्तार निम्नलिखित पर किया गया—

(1) मद्रास; अधिनियम की धारा 15, 15क, 16, 30, 30क, 31 और 32 का सम्पूर्ण मद्रास प्रेसिडेन्सी पर विस्तार किया गया, देखिए—अधिसूचना सं० 728, तारीख 31 अक्टूबर, 1895, भारत का राजपत्र, 1895, भाग 1, पृ० 876।

(2) गौआलपाड़ा जिले में पूर्वी दोआब, देखिए—अधिसूचना सं० 230, भारत का राजपत्र, 1897, भाग 1, पृ० 198।

(3) पूर्व और दक्षिण लुथाई पहाड़ियों और (अब लुथाई पहाड़ियों के रूप में जाना जाने वाला) देवनागरी सहित रतन पुरिया गांव के रूप में जाना जाने वाला भू-भाग, देखिए—भारत का राजपत्र 1898, भाग 1, पृ० 370।

³ भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा “सपरिषद् गवर्नर जनरल” के स्थान पर प्रतिस्थापित।